

राजस्थान सरकार
जल संसाधन विभाग

क्रमांक प. 15(28)ज0सं0 / 2016

जयपुर, दिनांक: 17 JAN

:: आदेश ::

श्री रविन्द्र मोहन माथुर, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता को अन्तर्राज्यीय जल संबंधी तकनीकी एवं अन्य कार्यों के त्वरित निस्तारण हेतु कन्सलटेन्ट के रूप में कार्यग्रहण तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिये 40,000/- (अक्षरे चालीस हजार रुपये) मात्र प्रति माह की दर पर राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 17 के तहत एकल स्रोत उपापन के माध्यम से नियुक्त किये जाने के एतद्द्वारा आदेश जारी किये जाते हैं।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरांत जारी किये गये हैं।

आज्ञा से,

sd -

(आर0सी0 डेनवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री, जल संसाधन, जयपुर।
2. निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, अन्तर्राज्यीय जल विवाद प्रकोष्ठ, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
4. मुख्य अभियंता, जल संसाधन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
5. संबंधित अधिकारी मार्फत मुख्य अभियंता, जल संसाधन, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

N.S.
सचिव
18/1/17

455
18/1/17

60
19-1-17

सहायक शासन सचिव